भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 311

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

2 श्रावण, 1946 (शक)

जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के खतरे

311. सुश्री एस. जोतिमणि :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जनरेटिव एआई चालित टूल्स से होने वाली संभावित खतरे की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की सर्वोत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देने सहित उक्त प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार और नैतिक विकास के लिए विनियामक ढांचा तैयार करने की क्या योजना है;

(ग) क्या सरकार ने व्यक्तिगत डेटा और निजता के मौलिक अधिकार पर एआई सेवाओं के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन कराया है अथवा कराने का विचार है;

(घ) क्या सरकार की इन मॉडलों की संवीक्षा को समर्थ बनाने के लिए भाषा इन वृहत मॉडलों हेतु ओपन सोर्स नीति लाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) **से** (ङ) सरकार सुरक्षित और विश्वसनीय एआई सुनिश्चित करने के लिए गार्डरेल सृजित करने की आवश्यकता से अवगत है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 ("आईटी नियमावली, 2021") अधिसूचित की है, जिसमें बाद में दिनांक 28.10.2022 और दिनांक 6.4.2023 को संशोधन किया गया था। आईटी नियमावली, 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों और प्लेटफार्मों सहित माध्यस्थों पर विशिष्ट कानूनी दायित्व डालती है, ताकि सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट, जिसमें निषिद्ध गलत सूचना, स्पष्ट रूप से झूठी जानकारी और डीपफेक को हटाने की दिशा में उनकी त्वरित कार्रवाई शामिल है, के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। आईटी नियमावली, 2021 में यथा प्रस्तावित कानूनी दायित्वों का पालन करने में माध्यस्थों की विफलता के मामले में, वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") की धारा 79 के तहत अपना सेफ़ हार्बर प्रोटेक्शन खो देंगे और किसी भी मौजूदा कानून के तहत यथा प्रस्तावित परिणामी कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को 11 अगस्त, 2023 को अधिनियमित किया गया है, जो डेटा प्रत्ययी पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने, उन्हें जवाबदेह ठहराने के साथ-साथ डेटा प्रिंसिपलों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करने के लिए दायित्व डालता है।

****